12.9.22 पत्रावली पेश। वकील साथी ने निवेदन किया कि अप्रार्थी के विरुद्ध दण्डनीय कार्यवाही की जावे। अप्रार्थी सं. 1 को बुलवे

न्यायालय में जोर-जोर से आवाजें लगाई
गई लेकिन फिर भी स्वयं या जरिये अधि-
वक्ता उपस्थित नहीं। अतः अप्रार्थी सं. 1
के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।
वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि इस प्रार्थना
पत्र में जवाब होने की कोई आवश्यकता
नहीं है। इसलिए बहस सुनी जावे। बहस
सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं
पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया
गया कि प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा
का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष
में प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना
पत्र स्वीकार करते हुए पूर्व में दिनांक
13.07.2022 को जारी अन्तरिम अस्थाई
निषेधाज्ञा को मूल वाद पत्र के निस्तारण
तक किया जाता है। पत्रावली फैसलशुदा
होकर जाब्ता से दफ्तर हो।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना